सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या – 469 राँची, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

21 अक्टूबर, 2020

विषय:- राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 2413, दिनांक 15.09.2020 के संशोधन के संबंध में ।

संख्या-खा.प्र.01/झा.रा.खा.सु.यो./06-07/2020-2743--राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित राज्य के सुपात्र 15 लाख लाभुकों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रति माह उपलब्ध कराये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड के द्वारा दिनांक 08.09.2020 की बैठक की मद संख्या-02 के रूप में प्रदान की गई स्वीकृति के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 2413 दिनांक 15.09.2020 (परिशिष्ट-A) के माध्यम से लिया गया है ।

2. विभागीय संकल्प संख्या 2413 दिनांक 15.09.2020 (परिशिष्ट-A) की कंडिका-26 के अनुसार यह योजना 15 नवम्बर, 2020 से लागू कराये जाने का निदेश मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड द्वारा दिया गया है ।

निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन प्राप्ति की अवधि अल्पकालीन होने की स्थिति में विभिन्न स्त्रोतों के द्वारा आवेदन प्राप्ति की अवधि विस्तारित किये जाने की मांग की जा रही है। यह भी आंशका व्यक्त की जा रही है कि आवेदन प्राप्ति के लिए निर्धारित समयावधि अपेक्षाकृत अल्प होने के कारण कई ऐसे अत्यंत सुपात्र लाभुक होंगे, जो ससमय आवेदन समर्पित नहीं कर पायेंगे ।

वर्णित उपर्युक्त परिस्थिति के फलस्वरूप संबंधित योजना को 15 नवम्बर, 2020 से राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप लागू किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है ।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय संकल्प संख्या- 2413 दिनांक 15.09.2020 (परिशिष्ट-A) की कंडिका-26 को आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है -

राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी, 2021 से लागू की जायेगी ।

4. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादन हेतु आवेदन समर्पित करने के लिए आधार संख्या, मोबाईल नम्बर, बैंक खाता नम्बर इत्यादित सूचनाएँ अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने का दिशा-निर्देश विभागीय संकल्प संख्या 2413 दिनांक 15.09.2020 (परिशिष्ट-A) की कंडिका 12 में किया गया है ।

इस संदर्भ में कई ऐसे लाभुक हैं, जिनके पास बैंक खाता संख्या नहीं होने के वजह से आवेदन समर्पित करने में कठिनाईयों का सामना करने की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

5. उपर्युक्त क्रम में विभागीय संकल्प संख्या- 2413 दिनांक 15.09.2020 (परिशिष्ट-A) कंडिका-12 को आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है -

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत आच्छादन हेतु आवेदन समर्पित करने के लिए बैंक खाता संख्या की अनिवार्यता को विलोपित कर वैकल्पिक किया जाता है ।

6. साथ ही, राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 2413 दिनांक 15.09.2020 (परिशिष्ट-A) के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण एवं समय सीमा निर्धारण हेतु विभाग को अधिकार प्रदान किया जाता है ।

7. विभागीय संकल्प संख्या- 2413 दिनांक 15.09.2020 (परिशिष्ट-A) की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी ।

8. प्रस्ताव एवं संलेख पर दिनांक 16.10.2020 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद सख्या-28 में सम्मिलित कर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 469 – 50